भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3975
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

राजसहायता हेतु आवेदन

3975. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से राजसहायता हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई और मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या त्रैमासिक रूप से कितनी बार बैठकें आयोजित की जाती हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को राजसहायता संबंधी कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत हुए कुल आवेदनों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा खाने के लिए तैयार, लगभग तैयार और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की घरेलू और वैश्विक दोनों मांगों को पूरा करने में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) स्कीम के माध्यम से देश भर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं। इन योजनाओं के दिशा-निर्देशों में समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से सब्सिडी के लिए प्राप्त आवेदनों/प्रस्तावों को संसाधित करने और मूल्यांकन के लिए बैठकें आयोजित करने की समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। परंतु, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ऐसे प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए हर संभव प्रयास करता है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या **अनुबंध** में दी गई है ।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई और पीएलआईएस स्कीमों के माध्यम से ऐसी सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहा है, जो मांग आधारित प्रकृति की हैं और पूरे देश में लागू की गई हैं। पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की सहायता करना है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य उत्पादों के निवेश और सोर्सिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 19 से 22 सितंबर 2024 के दौरान भारत मंडपम, नई दिल्ली में "वर्ल्ड फूड इंडिया" नामक एक मेगा इवेंट के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को प्रदर्शित करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहयोगात्मक अवसर प्रदान करना था। यह कार्यक्रम वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, इनोवेटर्स, आपूर्ति श्रृंखला हितधारकों, उपकरण निर्माताओं आदि को एक सहयोगी मंच पर लाया और विदेशी कंपनियों को अपने भारतीय समकक्षों के साथ गठजोड़/व्यावसायिक अवसर प्रदान किए।

*****

अनुबंध

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर हेतु "राजसहायता हेतु आवेदन" के संबंध में लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3975 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत और लंबित आवेदनों की संख्या

वित्त वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत/ लंबित/ वापस लिए गए आवेदनों की संख्या
पीएमकेएसवाई स्कीम			
2021-22	-	-	-
2022-23	1,048	275	773
2023-24	1,383	186	1,197
पीएमएफएमई स्कीम			
2021-22	17,170	2,884	14,286
2022-23	83,961	28,686	55,275
2023-24	1,28,896	54,730	74,166
पीएलआईएसएफपीआई स्कीम			
2021-22	-	-	-
2022-23	42	32	10
2023-24	-	-	-

*****